अपील सूचना अधिकार संख्या 63/2020 (RCMS 2020/00110) गोविन्दनारायण पुत्र विश्वनाथ किराडू , कोठारी अस्पताल के सामने की गली, हरिओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर (मोबाईल नं. 94609–25144) बनाम तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी आज स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **अपीलार्थी ने सूचना का अ**धिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ के** समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 01 बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निर्धारित समय में उपलब्ध न करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। उसके द्वारा अपील पत्र में यह भी प्रार्थना की गई है कि वांछित सूचना समय पर उपलब्ध न करवाये जाने के कारण सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे और साथ ही उसे 27.05.2020 से 250/– प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण किराडू ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> **गुलाब बानो पत्नि मुबुब खां साकिन लादूसर तहसील झूंझनू को चक 3 एच के मुरब्बा नं. 20/48 की वर्तमान जमाबन्दी/गिरदावरी/ सैलरजिस्टर की छांयाप्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावें।**

तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./2020/2043 दिनांक 24.07.2020 से अपील का जवाब के संलग्न अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति संलग्न कर भिजवाई है। तहसीलदार, अनूपगढ ने अपने पत्रांक भू. अ./2020/1944 दिनांक 17.07.2020 निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रासंगिक सूचना के आवेदन पत्र में वर्णित मुरब्बा नम्बर 20/48 चक 3एच में नही है। अतः आपको सूचना नहीं दी जा सकती है।

अतः सूचित रहें।

तहसीलदार (भू.अ.)
अनूपगढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2020 को दिया जा चुका है। जिसके अनुसार आवेदन पत्र में वर्णित मुरब्बा नम्बर 20/48 3 एच में नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।

चूंकि जिस मुरब्बा नम्बर 20/48 से सम्बन्धी सूचना प्रार्थी द्वारा चाही गई है वह उसके द्वारा वर्णित 3 एच में नहीं है। इसलिए तहसीलदार(भू.अ.) द्वारा दिनांक 17.07.2020 से अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी का अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर